संख्या 43/जीएसटी—2— एकीकृत माल और सेवा कर अवधिनियम, 2017 की धारा 120 के साथ पहला (2017 का कौनसी अवधिनियम 13) हरियाणा माल और सेवा कर अवधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे, इस अवधिसूचना में, इसके बाद, उक्त अवधिनियम कहा गया है), की धारा 168क पहला द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर, अवधिसूचित करते हैं कि —

(i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्यालय को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो 20 मार्च, 2020 से 29 जुन, 2020 तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अवधिनियम के अधीन निर्देश या विधि या अवधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्यालय को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्यालय के पूरा करने को या अनुपालन के लिए समय सीमा 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी —

(क) उपर्युक्त कविता अवधिनियमों के उपन्यासों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या अवधिकरण द्वारा किसी भी नाम के ज्ञात, किसी कार्यालय को पूरी करना या किसी भी आदेश पारंपरिक करने, किसी नीटिस को जारी करना, सूचना, अवधिसूचना, संबंधीय या अनुमोदन या ऐसी अन्य कार्यालय, किसी भी नाम के ज्ञात, या

(ख) उपर्युक्त कविता अवधिनियमों के उपन्यासों के अधीन, कोई अधीन, जवाब या आवेदन दायर करना या कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरण, कथन, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड किसी भी नाम के ज्ञात को प्रस्तुत करना; किन्तु, समय का ऐसा विस्तार, उक्त अवधिनियम के नीचे यथा वर्णित उपन्यासों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, उल्लिखित उपन्यासों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, उल्लिखित उपन्यासों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, —

(क) अध्याय IV;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;

(ग) धारा 39, उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;

(घ) धारा 68, जहां तक ई—वे विन द्वारा संबंध है; तथा

(ड) उपरोक्त खण्ड (क) से (घ) पर विनिर्देश उपन्यासों को अधीन बनाए गए निम्नम;
(ii) Where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action shall be extended upto the 30th day of June, 2020, including for the purposes of--

(a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above;

(b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; or

but, such extension of time shall not be applicable for the compliances of the provisions of the said Act, as mentioned below -

(a) Chapter IV;

(b) sub-section (3) of section 10, sections 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;

(c) section 39, except sub-section (3), (4) and (5);

(d) section 68, in so far as e-way bill is concerned; and

(e) rules made under the provisions specified at clause (a) to (d) above;

(ii) Where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 and its period of validity expires during the period 20th day of March, 2020 to 15th day of April, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of April, 2020.

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.